...यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

...न संख्या – 93/2011
MS NO:- 2011/00023
...सीन अधिकारी :– श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक 19.11.2012

1. हेमराज आ0 रोडूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

–वादी

बनाम

1. छोटी बेवा लोडक्या जाति मीणा निवासी ग्राम डोडी तहसील नैनवां (विलोपित)।
2. देवा आ0 फून्दया जाति मीना निवासी ग्राम डोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
3. सोन्या आ0 फून्दया जाति मीना निवासी ग्राम डोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
4. पीसी पत्नी फून्दया जाति मीना निवासी ग्राम डोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
5. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 द्वारा शाखा प्रबन्धक महोदय।
6. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीयुत जिला कलेक्टर महोदय जिला बून्दी राज0।
7. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार साहब तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

–प्रतिवादीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,188 व 92(क) आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–
वादी की ओर से वकील श्री संजय कुमार जैन।
प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र कुमार नरूका।

निर्णय दिनांक 20.04.2022

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है यह कि ग्राम डोडी पटवार मण्डल डोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 में कृषि भूमि खसरा संख्या 101 कांकड़ वाला रकबा 1 बीघा 14 बीस्वा स्थित है। यह भूमि लोडक्या आ0 भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम डोडी के खाते व कब्जे कास्त की थी। यह कि वाद–पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को उसके तत्कालीन खातेदार कृषक लोडक्या आ0 भूरा मीणा ने दिनांक 09.01.1990 को वादी को 6700/– रूपये अक्षरे छः हजार सात सौ रूपये के प्रतिफल में विक्रय कर दिया था और विक्रय शुदा भूमि पर मौके पर भौतिक रूप से कब्जा संभला दिया था तथा विक्रय–पत्र वादी के पक्ष में निष्पादित कर दिया था। विक्रय–पत्र का पंजीयक मृतक खातेदार ने दिनांक 11.01.1990 को उपपंजीयक कार्यालय में विधिवत् रूप वादी के पक्ष में करवा दिया था। यह कि फून्दा व छोटी ने उनका विवादित भूमि में कोई अधिकार नही होते हुये भी अपना नाम जमाबंदी में गलत रूप में दर्ज होने का नाजायज रूप से लाभ उठाने के लिए वाद–पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को भी अन्य भूमियों के साथ–साथ अवैध एवं अनाधिकृत रूप से प्रतिवादी संख्या 5 के रहन रख दिया। ये वाद का कारण है। यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी को वाद–पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 101 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम डोडी तहसील नैनवां जिला बन्दी का तन्हा खातेदार आसामी घोषित किया जावे, इस भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीनी संख्या 1 व मृतक फून्दया आ0 लोडक्या के नाम की खातेदार आसामी के रूप में हो रही प्रविष्टी तथा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम की मु.वि.क. के रूप में हो रही प्रविष्टी को निरस्त कर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे, तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंध पाबन्ध फरमाया जावे कि वे वादी को उपरोक्त कृषि भूमि पर से बेदखल कर स्वयं कब्जा नही करे, वादी के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। अपने वाद के समर्थन में वा... आदि पेश किये।

वाद पत्र में पक्षकारान ने दिनांक 20.04.2022 ... प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 ... वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खस... डोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी का वादी को ... जावे। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी आदि में प्रतिवादगण के नाम के इन्द्राज को निरस्त कर इन्द्राज दुरूस्तीकरण की जावे। प्रतिवादीगण संख्या 5 बैंक का किसी भी प्रकार का कोई ऋण ...या नही है।

हमने वाद–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बहस वाद पत्र सुनी गई। राजीनामा के आधार पर वाद

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.29 16:57:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कये जाने में दोनों पक्षों के पक्षकारान ने सहमती दी है। अतः मुताबिक राजीनामा वादी का
डकी किया जाता है। ग्राम डोडी पटवार मण्डल डोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 में
भूमि खसरा संख्या 101 कांकड़ वाला रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर वादी को तन्हा
ार घोषित किया जाता है तथा इस भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीनी संख्या 1
ृतक फून्दया आ0 लोडक्या के नाम की खातेदार आसामी के रूप में हो रही प्रविष्टी तथा
वादी संख्या 5 के नाम की मु.वि.क. के रूप में हो रही प्रविष्टी को निरस्त कर इन्द्राज दुरूस्त
ये जाने के आदेश दिये जाते है। डिकी पर्चा जारी किया जाकर तहसीलदार नैनवां को आदेशित
या जाता है कि आदेशानुसार अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत
4 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंध पाबन्ध किया जाता है कि वे वादी को उपरोक्त
कृषि भूमि पर से बेदखल कर स्वयं कब्जा नही करे, वादी के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में
किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.29 16:57:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner